क्रम संख्या–197 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 341/XXXVI(3)/2015/64(1)/2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2015'** पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 25 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (अधिनियम संख्या–8 वर्ष 2006) का अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत रूप में अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

1\.

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 40(1) (क) (तीन) का प्रतिस्थापन

2\. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 40 उपधारा (1) खण्ड (क) का उप खण्ड (तीन) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात–

(तीन) "प्रवक्ता श्रेणी या प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में मौलिक रिक्ति के प्रति उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–40 के प्राविधानों के अनुसार तदर्थ आधार पर 26 जनवरी, 2005 को या उसके पश्चात किन्तु 30 जून, 2010 के पश्चात नहीं, नियुक्त किया गया हो, तथा पद के सापेक्ष विहित अर्हता/योग्यता धारित करता हो।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।